<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-4/2016/1195/9-1-2016-03बजट/2015</u>

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 11 अप्रैल, 2016

विषयः- राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-46,06,000/-(रूपये छियालिस लाख छः हजार मात्र) को निम्नलिखित मदों में आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

लेखाशीर्षक/मद का नाम	प्राविधानित धनराशि (हजार रू0 में)	अवमुक्त की जा रही धनराशि (हजार रू0 में)
2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-राज्य सफाई कर्मचारी आयोग		
01-वेतन	535	535
03-महंगाई भत्ता	728	728
04- यात्रा व्यय	220	220
06- अन्य भत्ते	165	165
07- मानदेय	1600	1600
08- कार्यालय व्यय	160	160
09- विद्युत देय	50	50
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	55	55
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	165	165
13- टेलीफोन पर व्यय	50	50
17- किराया, उपशुल्क और कर-स्वावमित्व	350	350

http://shasanadesh.up.nic.in

22- आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	70	70
42- अन्य व्यय	28	28
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	220	220
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	110	110
49- चिकित्सा व्यय	100	100
कुल योग-	4606	4606

2- उक्त स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये निर्गत की जा रही है।

3- उक्त धनराशि जिन मदों के लिये स्वीकृत की जा रही है, उन्हीं मदों में उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। किसी भी मद में बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र वरिष्ठ महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

5- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के मद के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-1746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-4/2016/1195(1)/9-1-2016,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in